ISSN: 2277-3665 IMPACT FACTOR : 5.3149 (UIF) VOLUME - 6 | ISSUE - 8 | AUGUST - 2017

ACADEMIC SPORTS SCHOLARS

राष्ट्रीय मूल्य : पर्यावरण संरक्षण के प्रति अध्यापक का प्रत्यक्षण एवं अभिवृत्ति

डॉ. शिरीष पाल सिंह
सह प्रोफेसर , महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय , (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)वर्धा (महाराष्ट्र)

प्रस्तावना :

पर्यावरण, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों का जटिल समूह है, जो किसी जीव या किसी परिस्थितिकीय समुदाय पर क्रिया करता है, जिससे उसका स्वरूप तथा जीवितता निर्धारित होती है। (एन्साक्लोपीडिया ब्रिटेनिका)। पर्यावरण लगातार क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। पर्यावरण को क्षति से रोकने के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। यद्यपि प्रकृति, पर्यावरण में विकृति पैदा न हो इसके लिए निरन्तर अपनी प्राकृतिक विधियों द्वारा साम्यावस्था बनाये रखने के लिए कार्य करती रहती है परन्तु मानव अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयास करते समय पर्यावरण में होने वाले बिगाड़ को नहीं देखता। निरन्तर पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने से अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? यह जानने के लिए एन्साइलोपीडिया ब्रिटेनिका की परिभाषा का अध्ययन कर लेना उचित रहेगा। जो कि इस प्रकार है–

''किसी पदार्थ या ऊर्जा के प्रकार (ऊष्मा, ध्वनी, रेडियो–सक्रियता) का पर्यावरण में उतनी से अधिक मात्रा में मिल जाना जितनी की पर्यावरण विसर्जन (डिस्परसन), विघटन(ब्रेंक डाउन), पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) या हानिरहित रूप में संग्रह करने की सामर्थ्य रखता है''। पर्यावरण के प्रदूषित होने से जलसंदूषण, जलप्रदूषण, वायु प्रदूषण (ग्रीन हाउस प्रभाव, आजोन पर्त में अपक्षय, अम्ल वर्षा, ओजोन प्रदूषण, धुंध, कार्बनडाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनो आक्साइड की मात्रा में वृद्धि, वायुमण्डल में सिलिका कणों की मात्रा में वृद्धि, धूम्रपंख, सल्फर डाई आक्साइड का वायु में मिलना रेडियोधर्मिता का जीवों एवं अजीवों पर प्रभाव, ह्यूमस का नष्ट होना, उर्वरता के आवश्यक तत्वों की मृदा में कमियां आना, मृदा की पी.एच. में विघटन होना, ध्वनी प्रदूषण, जनसंख्या की तीव्रगति स होने वाले दुष्प्रभावों की लम्बी सूची, निर्वनीकरण से होने वाले दुष्प्रभावों की लम्बी सूची। पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण उपर्युक्त हानियां भुगतनी पड़ रही है।

हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रीय मूल्य घोषित किया हुआ है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 के खण्ड (छ) में नागरिकों का कर्तव्य माना गया है कि वह ''प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे उनका सम्वर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। राज्य के नीति निदेशक तत्वों म स्पष्ट किया गया है कि राज्य पर्यावरण का सरंक्षण तथा सम्वर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

हमारे अध्ययन में पर्यावरण संरक्षा संबंधी मूल्यों पर अध्यापकों के अभिमत जानने के लिए 6 कथन प्रत्यक्षण मापनी में तथा 6 कथन अभिवृत्ति मापनी में सम्मिलित है। इन कथनों पर अध्यापकों के अभिमतों को सारणी 1 (क) तथा 1 (ख) तथा आलेख 1 (क) तथा 1 (ख) में प्रस्तुत किया गया है। तथा उनका निर्वचन यथा स्थान किया गया है।

सारणी 1 (क)
राष्ट्रीय मूल्य : पर्यावरण सरंक्षण के प्रति अध्यापकों का प्रत्यक्षण

कथन संख्या	प्रकार	अभिमत श्रेणियां		अंक	वरीयता क्रम
		सहमत	असहमत		
12	विपक्ष	14	486	986	2
13	विपक्ष	63	437	937	4

26	पक्ष	491	9	991	1
41	पक्ष	353	147	853	7
47	विपक्ष	33	467	967	3
53	विपक्ष	91	409	909	5
57	पक्ष	377	123	877	6

कथन :

12 वन्यजीव सरंक्षण की तो आवश्यकता ही नहीं यह तो बेकार का फण्डा है।
13 तालाबों को गहरा करने के लिए सरकार बेकार में पैसा बरबाद कर रही है।
26 वन्यजीवों की सुरक्षा हमारा राष्ट्रीय दायित्व है।
41 प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को तुरन्त बंद कर देना चाहिए।
47 भूमिगत जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है इसका कोई खास असर नहीं होने वाला है।
53 राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में लाखों हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि व्यर्थ घेर रखी है।
57 प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के मालिकों को कठोर सजा दी जाए।

निर्वचन :

1. वन्यजीवों की रक्षा हमारा राष्ट्रीय दायित्व है इस कथन से असहमत अध्यापकों की प्रतिशत मात्र 1.8 है। शेष अध्यापक पक्ष में मत व्यक्त कर रहे है।
2. अध्यापक वन्यजीवों की रक्षा को बेकार नहीं मान रहे है। 97.2 प्रतिशत अध्यापक इसे आवश्यक मान रहे है।
3. अध्यापकों का मानना है कि तालाबों को गहरा करना बेकार नहीं है बल्कि लाभकारी है। बेकार मानने वाले केवल 12.6 प्रतिशत अध्यापक है।
4. भूमिगत जल स्तर के संबंध में केवल 6.6 प्रतिशत अध्यापक ऋणात्मक विचार रखते हैं।
5. राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारणयों के प्रति 18.2 प्रतिशत अध्यापकों के अभिमत धनात्मक नहीं है।
6.

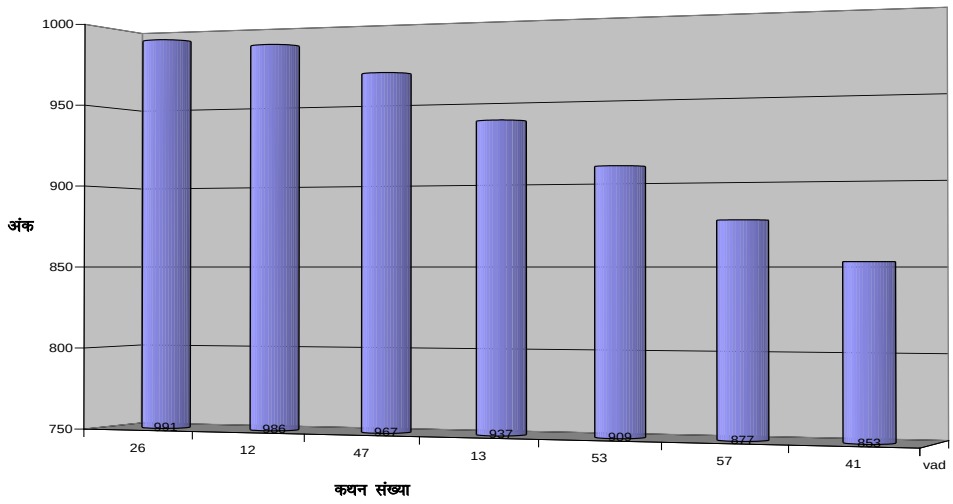

आलेख 1 (क)
राष्ट्रीय मूल्यः पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कथनों पर अध्यापकों का प्रत्यक्षण अंक

7. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के मालिकों को सजा देने के पक्ष में 75.4 प्रतिशत अध्यापक है।
8. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने के इच्छुक अध्यापक 70.6 प्रतिशत है।

सारणी 1 (ख)
राष्ट्रीय मूल्यःपर्यावरण संरक्षण के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति

कथन संख्या	प्रकार	अभिमत श्रेणियां					अंक	वरीयता क्रम
		पूर्ण सहमत	आंशिक सहमत	अनिश्चित	आंशिक असहमत	पूर्ण असहमत		
3	विपक्ष	149	138	29	71	113	1361	6
20	पक्ष	464	10	10	4	12	2410	2
37	पक्ष	447	39	6	1	7	2418	1
52	पक्ष	294	103	27	32	44	2071	5
65	पक्ष	438	45	6	5	6	2404	3
68	पक्ष	298	132	33	20	17	2174	4

कथन :

3. भारत में पर्याप्त क्षेत्रफल में वन है।
20. हमारे तालाब झील नदियां लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं इनकी रक्षा की जानी चाहिए।
37. प्रदूषण, गरीबी, अशिक्षा तथा बेरोजगारी विश्व की सांझी समस्याएं है। इन्हें सभी देशों को मिलजुलकर दूर करना चाहिए।
52. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को लाइसेन्स देने वाले अधिकारियों को कठोर सजा दी जाए।
65. प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि) से रक्षा के लिए सुदृढ़ चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है।
68. बाढ़ से सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण करना, सस्ता, सरल और सुरक्षित उपाय है।

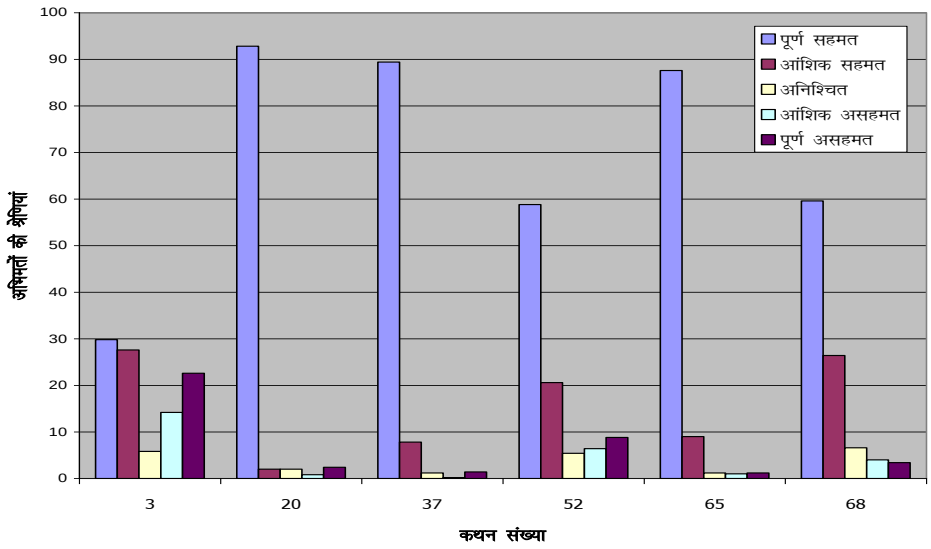

आलेख 1 (ख)
राष्ट्रीय मूल्यः पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धी कथनों पर अध्यापकों की अभिवृत्तियां

निर्वचन :

1. कथन 37–प्रदूषण, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी विश्व की सांझी समस्याएं हैं। इन्हें सभी देशों को मिलजुलकर दूर करना चाहिए। इस कथन को पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। केवल 8 अध्यापक इस कथन पर असहमत है। 6 अध्यापक अनिश्चित हैं। जबकि 447+39 पूर्ण तथा आंशिक सहमत हैं।
2. हमारे तालाब, झील, नदियां लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं। इस कथन पर केवल 26 अध्यापक असहमत तथा अनिश्चित हैं। शेष 474 (94.8 प्रतिशत) अध्यापक इस कथन पर पूर्ण तथा आंशिक सहमति व्यक्त करते हैं।
3. प्राकृतिक आपदाओं स सुरक्षा के लिए सुदृढ़ चेतावनी प्रणाली को आवश्यक मानने वाले 96.6 प्रतिशत अध्यापक हैं।
4. बाढ़ से सुरक्षा के लिए तटबंधों का निर्माण आवश्यक मानने वाले अध्यापकों की प्रतिशत 86 है।
5. प्रदूषण को रोकने के उपाय किसी उद्योग ने पर्याप्त मात्रा में किए हुए हैं। इस के लिए पर्यावरण के प्रदूषण नियंत्रण विभाग से लाइसेंस लेना होता है। फिर भी यदि कोई उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित करता है तो दोषी लाइसेंस देने वाला अधिकारी ही तो

होगा। अध्यापकों में से 294+103 (79.4 प्रतिशत) इस प्रकार के अधिकारियों को कठोर सजा देने के लिए मत व्यक्त कर रहे है।

6. भारत में केवल 23.28 प्रतिशत भूमि पर वन हैं जबकि यू.एन.ओ. का मानना है कि कम से कम 33 प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए। अध्यापकों में से 57 प्रतिशत यह मान रहे है कि भारत में पर्याप्त वन हैं। जबकि 36.8 प्रतिशत मानते हैं कि भारत में पर्याप्त वन नहीं है। 7.2 प्रतिशत अनिश्चित है।

निहितार्थ :

पर्यावरण से संबंधित कथनों पर अध्यापकों के अभिमत आमतौर पर पर्यावरण सरंक्षण के पक्ष में है। वन्य जीवों की रक्षा को अध्यापक राष्ट्र का आवश्यक दायित्व मानते है। अध्यापक भूमिगत जल तथा सतही जल को प्रदूषण रहित रखना आवश्यक मानते हैं। अध्यापकों का मानना है कि प्रदूषण, गरीबी, अशिक्षा तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए विश्व को एक जुट होकर कार्य करना चाहिए। अध्यापक प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुदृढ़ सुरक्षा प्रणाली को आवश्यक मानते है। अध्यापक यह भी स्पष्ट रूप से अभिमत व्यक्त करते हैं कि प्रदूषण करने वाले उद्योगों के लाइसेन्स रद्द किये जाए तथा गलत लाइसेन्स देने वाले अधिकारियों को दण्ड मिले। *भारत में वनों के क्षेत्रफल के बारे में अध्यापकों की जानकारी का स्तर अच्छा नहीं है।*

संदर्भ ग्रन्थ सूची

Govt. of India:

: Report of committee on Emotional Intigration, Ministry of education, 1962.

: Report of the committee for review of National policy of education 1986, 1990.

: Report of the committee on Religious and Moral. Instruction. Ministry of Education. 1959.

: Report of the education commission on education and National Development 1964-66. Ministry of seducation. 1966.

: Report of the National Policy on education (1986) Ministry of Human Resources.

: भारत का संविधान : विधि एवं न्याय मंत्रालय विधाई विभाग, राजभाषा खण्ड 1996

: भारत 2007, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय,

: भारत 2008 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

: कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2006, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानवाधिकार विकास विशेषांक।

: बालक अधिनियम 1960 (1 अगस्त 1985 तक यथा विद्यमान, विधि एवं न्याय मंत्रालय)

: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1 फरवरी 1999 तक यथाविद्य)

: The Protection of Human Right Act 1993.

: बाल अधिकार और बाल संरक्षण, आशारानी बोहरा, प्रकाशन विभाग (1999)।

: बाल विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, रेणुका चौधरी योजना नवम्बर 2008.

: भारतीय बच्चे : एक विवरण, योजना, नवम्बर 2006

: गरीबों की शिक्षा के हक के लिए संघर्ष, शांता सिन्हा, योजना, नवम्बर 2006

: ग्रामीण बच्चों के लिए कठिन दौर, कृष्ण कुमार, योजना, नवम्बर 2006

: बाल कल्याण के लिये अधिकारोन्मुख राह अपनाएं, योजना, नवम्बर 2007

: 46 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण से ग्रस्त, योजना, नवम्बर 2007

: ग्रामीण बालकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2007

: बालश्रम एक कलंक, कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2007

: संकट में बचपन, कुरुक्षेत्र 2007

: बालश्रम समस्या कारण एवं प्रभाव, कुरुक्षेत्र 2007

: ग्रामीण भारत में बालश्रम, कुरुक्षेत्र 2007

: Challenges of Education: Policy Perspectives, New Delhi, 1985.

: Report of the Working Group to Review Teachers Training Programme (in the Light of the Need for Value Orientation), 1983.

Singh, Bhopal : जनसंख्या शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन, गढ़वाल वि.वि. की पीएच.डी. का शोध प्रबन्ध अप्रकाशित (1985)

: जनसंख्या शिक्षा, मेरठ लायल बुक डिपो (2006)

: पर्यावरण शिक्षा, मेरठ लायल बुक डिपो (2007)

: पर्यावरण अध्ययन, मेरठ लायल बुक डिपो (2008)

UNO :

: जातीय भेदभाव का उन्मूलन सम्बन्धी घोषणा पत्र 20 नवम्बर 1963.

: मानवाधिकारों का घोषणा पत्र।

: बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र दिनांक 20 नवम्बर 1989

: संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों की समाप्ति सम्बन्धी अभिसमय, 3 दिसम्बर 1981

: सिविल तथा राजनीतिक अधिकार : अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा।